21/09/2020

GCMS
2019/00348

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान द्वारा एक प्रार्थना आदेश 9 रूल 4 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक वाद अनवानी भूरी देवी वगै. बनाम सुशीला देवी वगै. का पूर्व में चल रहा था जो कि दिनांक 04.07.2017 को अदम् हाजरी वा अदम् पैरवी में खारिज कर दिया गया है। प्रार्थीगण वा अप्रार्थीयान के मध्य वाद में मुख्य विचारण बिन्दु चक 110 आर.डी. का प.न. 148/5 का कि.न. 11 का 1.00 बीघा कि खातेदारी घोषणा के सम्बंध में है। वाद पत्र को दिनांक 04.07.2017 को अदम हाजिरी पक्षकारान खारिज कर दिया गया जिसकी जानकारी ना तो अभिभाषक को दी गई ओर ना स्वयं पक्षकार को। अभिभाषक उपस्थित रहने पर प्राकृतिक न्याय की अनुपालना में वादी को उचित नोटिस दिया जाना चाहिये था ताकि वह अपने वाद के विषय में जान जाता ओर उचित कार्यवाही कर लेता माननीय अभिभाषक महोदय द्वारा भी हम प्रार्थीगण को वाद निरस्त होने की कोई सूचना नहीं दी गई। प्रार्थीगण गॉव के निवासी है हर तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये पत्रावली काफी समय से पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आगे दिनांक कार्यवाही हेतू दी जाती रही। यह समय राजस्व अभियान गांव के संग का था मात्र आगे तारीख ही सुनवाई हेतू दी जा रही थी इस कारण से क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी इसलिये प्रार्थीगण हर तारीख पेशी पर हाजिर नहीं आ पाये वे इस भरोसे रहे कि आवश्यकता होने पर उन्हें बुला लिया जायेगा किन्तु राजस्व अभियान समाप्त होते ही दिनांक 04.07.2017 को पत्रावली अदम् हाजिरी निरस्त कर दी गई जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2018 को हुआ तुरन्त नकल हेतू आवेदन किया व दिनांक 30.10.2018 को नकल प्राप्त हुई व दिनांक 31.10.2018 को प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन वाद पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है व काश्तकारी पेशा है व कानून की बारीकियों को नहीं समझते न्याय एवं दया पूर्ण व्यवहार कि आशा रखते है व विवादित बिन्दु का पूर्ण सुनवाई पश्चात् निर्णय करवाना चाहते है, जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुए ओर ना ही देरी ना प्रार्थना पत्र जानबूझ कर प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध पत्रावली संख्या 145/2014 अनवानी भूरी देवी बनाम सुशीला देवी वगै. में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 को निरस्त कर पत्रावली को पुनः पेशी पर लिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया उनकी तरफ अभिभाषक उपस्थित हुए व जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण जानबूझकर उपस्थित हुए है अभिभाषक महोदय को पूर्ण ज्ञान था उनका दायित्व था कि वे मुकदमें में उपस्थिति अंकित करवाते एवं समय रहते

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested

21/09/2020 पक्षकारों को सूचित करते उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देरी ना प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना कि गई।

बाद आने जवाब तर्क सुने गये अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि वाद पत्र दिनांक खारिजी से पूर्व अधिकारी महोदय अभियान में कैम्प में व्यस्त रहते थे *Restore* में तारीख पेशी दी जाती रही है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने वा वाद पत्र *Restore* करने की प्रार्थना भी की साथ में यह भी निवेदन किया कि वाद पत्र अभी प्राथमिक स्टेज में चल रहा था *Restore* होने से अप्रार्थीयान को कोई नुकसान भी नहीं है, दोनों पक्षों को *Merit* पर सुन लिया जाये तो न्याय होगा, अप्रार्थीयान की संतुष्टि हेतू कोर्ट *Cost* पर वाद पत्र *Restore* कर वाद पत्र बाजवा नम्बर पर लिया जाकर आगामी कार्यवाही की जावें। *R.R.D.1991 page 592* व *R.L.W.2005 (1) Rj. page185* प्रस्तुत किया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण गांव के व्यक्ति है व विवाद बिन्दु का पूर्ण सुनवाई पश्चात ही निर्णय होना चाहिये यह प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है, वाद पत्र प्रारम्भिक अवस्था में होने से सही तथ्य भी दोनों पक्षों के अभी नहीं आये है सुनवाई पश्चात ही पूर्ण वाद का निर्णय किया जाना उचित है जिससे विवाद का न्यायिक निपटारा हो सके ओर व्यर्थ के झगड़े ना बढ़ें।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 04.07.2017 को खारिजी के पश्चात् शीघ्र पता करते प्रार्थना पत्र रेस्टोरशन 15 माह बाद प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र में संतोष जनक कारण नहीं है देरी का स्पष्ट कारण अंकित किया जाना चाहिये यदि वाद पत्र रेस्टोर किया जाता है तो भारी राशि कायम की जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषक महोदय की बहस पर मनन किया, रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वाद पत्र अनवानी भूरी देवी बनाम सुशीला देवी वगै. को वाद पत्र दिनांक 04.07.2017 को अदम् हाजरी वा अदम् पैरवी में खारिज किया गया है वाद पत्र खारिजी से पूर्व अधिकारी महोदय अभियान में राज्य सरकार के आदेशानुसार अन्य कामों में व्यस्त थे वा वाद पत्र भी प्रथम स्टेज पर चल रहा था रेस्टोर करने से किसी भी पक्षकार को हानि होने की संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम वा शपथ पत्र प्रस्तुत अप्रार्थी की ओर से काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया सो प्रार्थना पत्र मियाद दफा 5 का स्वीकार किया जाता है वा देरी को कण्डोन किया जाता है, पक्षकारान के ग्रामीण परिवेश व काश्तकारी पेशा को ध्यान में रखते हुए उनसे बहुत अधिक जागरूकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विवादित बिन्दुओं का वाद में पूर्ण सुनवाई कर निर्णय किया जाना ही उचित है ताकि न्याय पथ में तकनीकियों के आधार पर व्यवधान ना आयें इसी अवस्था को ध्यान में रखकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध भी उनके द्वारा उनके पक्ष में हुई हानि कि भरपाई की जानी भी आवश्यक है एवं प्रार्थीगण भी आगे से जागरूक रहे इस हेतू अप्रार्थीगण को हुए नुकसान की पूर्ति हेतू प्रार्थीगण पर आर्थिक दण्ड लगाया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीयान की क्षति पूर्ति हेतू 500/–रूपयें कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिनांक 04.07.2017 निरस्त किया जाकर वाद पत्र बाजवा नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाते है। यह पत्रावली मूल वाद पत्र के संलग्न की जावें।

आदेश सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested